

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4689 /
वार-12-14/80 भाग -दो-जी

जबलपुर, दिनांक 19/09/2022

श्री विपिन कुमार अग्रहरी, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(सी) 13/94/21 ब (एक) दिनांक 06.10.1995, दिनांक 17.05.2005, 22.06.2011, आदेश क्रमांक 3632/21 ब (एक) भोपाल, दिनांक 29.12.2014 एवं आदेश क्रमांक 17 (ई)38/2014/ 21-ब (एक) 976 भोपाल, दिनांक 08.04.2015 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 13.09.2022 से वाहन भत्ता रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया जाता है।

R.K. 16.9.2022
(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल
५५

पृष्ठांकन क्रमांक C/4690 /
वार-12-14/80 भाग -दो-जी

जबलपुर, दिनांक 19/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, ग्वालियर (म.प्र.),
 2. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 3. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु,
 5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी संघिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्थापना/लेखा/बजाट/पेशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 7. राहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुरितका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. श्री विपिन कुमार अग्रहरी, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

U.S. D/B/A
(यू.एस. दुबे)
ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस.